62 उच्च शिक्षा संस्थानों को दी गई स्वायत्तता एक अच्छी शुरूआत है।

उम्मीद जगी है कि अब हम वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा की चुनौतियों का सामना कर पायेंगे।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

हाल ही में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि 5 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, 21 राज्य विश्वविद्यालयों, 26 निजी विश्वविद्यालयों और 10 कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्वायत्तता प्रदान कर दी गई है। यह स्वायत्तता इन 62 संस्थानों को शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर प्रदान की गई जिसके लिये उनको नैक, बंगलुरू द्वारा मिले स्कोर को पैमाना बनाया गया है।` अब ये संस्थान अपना पाठ्यक्रम और फीस निर्धारित करने तथा प्रवेश प्रक्रिया तय करने के लिये सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कर दिये गये हैं।

भारत की उच्चशिक्षा के विस्तार और विराट चुनौतियों की तुलना में यह सुधार घटाटोप अंधेरे में टिमटिमाते दीये की तरह है। 1991 में नरसिंह राव सरकार द्वारा किये गये व्यापक आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप लोगों को लगा कि धन की देवी लक्ष्मी कोटा–परमिट–लाइसेंसराज की जंजीरों से मुक्त हो गई। पिछले 26 वर्षों में इस के जो नतीजे आये उनसे देश के अवरूद्ध आर्थिक विकास को गति मिली और करोड़ो गरीबों को भी अपनी दयनीय स्थिति से उबरने का मौका मिला था।

62 उच्च शिक्षा संस्थानों की दी गई स्वायत्तता भले ही भारत की उच्च शिक्षा के एक छोटे हिस्से को प्रभावित करें, किन्तु उससे एक उम्मीद जगी है कि अब उच्च शिक्षा की नौकरशाही के शिकंजे में कैद विद्या की देवी सरस्वती को भी मुक्त कराया जा सकेगा। अब यह आशा बलवती हुई है कि अर्थव्यवस्था की तरह उच्चशिक्षा में भी नवाचार, उद्यमिता, प्रयोग और कल्पनाशीलता को जगह देकर ज्ञान आधारित समाज की रचना की जा सकती है।

पिछले दस वर्षों से केन्द्र और राज्यों के स्तर पर उच्चशिक्षा के सुधारों को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चाएं, बहस, संवाद, और कार्यशालाएं होती रही हैं। नामीगरामी शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं उद्योगपतियों की अध्यक्षता में कमेटियों और आयोगों को नियुक्त किया गया जिन पर करोड़ों रूपया खर्च कर भारी–भरकम रिपोर्टों को तैयार किया गया। इनमें सैम पिटरोडा की अध्यक्षता वाला राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2006), प्रो. यशपाल कमेटी (2009), फिक्की द्वारा मनोनीत नारायण मूर्ति कमेटी (2012) और अंबानी–बिड़ला कमेटी (2000) के नाम उल्लेखनीय हैं।

62 संस्थानों को स्वायत्तता मिलने के बाद आम लोगों में यह सवाल जरूर उठेगा कि क्या स्वायत्तता अल्लादीन का जादुई चिराग है जो उच्चशिक्षा की सभी समस्याओं का रातोंरात हल निकाल देगा? सवाल यह भी उठेगा कि सरकारी और निजी क्षेत्र की नामचीन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को तो उनके ऊंचे नैक स्कोर के आधार पर पर स्वायत्तता मिल जायेगी, किन्तु समुचित वित्तीय संसाधनों के अभाव और अकुशल प्रशासन के फलस्वरूप दिवालियेपन की तरफ बड़ रहे अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों और कालेजों का क्या हश्र होगा? क्या उन्हें बाजार की शक्तियों के हाथों अकाल मृत्यु को ग्रास बनने के लिये नहीं छोड़ दिया जायेगा।

उच्चशिक्षा में स्वायत्तता का विचार बहुत पुराना है। यूरोपीय पुर्नजागरण के दौरान इस विचार को और अधिक बल मिला। उच्चशिक्षा की स्वायत्तता का निहितार्थ है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों का वातावरण वैचारिक स्वंतत्रता, खुलेपन, नवाचार और अनुसंधान पर आधारित होना चाहिये जिससे कि नये विचारों को विकसित होने के निर्बाध अवसर मिल सकें। इस के लिये जरूरी है कि कालेजों और विश्वविद्यालयों के दैनिंदन प्रबंधन में केन्द्र, राज्य सरकारों, नौकरशाही, राजनैतिक दलों की दखलंदाजी नहीं होना चाहिये। कुलपति एवं प्राचार्यों की नियुक्ति भी शिक्षाविदों के द्वारा बिना किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के होनी चाहिये।

स्वायत्तता की जरूरत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं प्राचार्यों के स्तर तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये। इस का विस्तार संकायों, विभागों, विश्वविद्यालय कार्यकारिणी, सीनेट, विद्वत परिषदों तक होना चाहिये। यशपाल कमेटी (2009) की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय विश्वविद्यालयों का कुलपति और रजिस्ट्रार के स्तर पर बहुत केन्द्रीयकरण हो गया है। यशपाल कमेटी ने सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालयों का प्रबंधन प्राध्यापकों के हाथों में होना चाहिये और सरकारी दखलंदाजी न्यूनतम होनी चाहिये।

भारत में आजादी के बाद का उच्चशिक्षा का इतिहास यह बताता है कि जहां पर भी स्वायत्तता के सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन किया गया, वहां पर उच्च शिक्षा में शोध–अनुसंधान के कीर्तिमान स्थापित किये गये। आज दुनिया में भारत के आईआईएम संस्थानों में दी जाने वाली उच्च स्तरीय प्रबंधशिक्षा का लोहा माना जाता है। साठ के दशक में जब अहमदाबाद और कलकत्ता में पहले दो आईआईएम स्थापित किये थे, तब यह प्रश्न उठा था कि उन्हें किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाये या स्वायत्तशासी बनाया जाये। उस समय प्रख्यात वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को यह सुझाव दिया था कि उन्हें विश्वविद्यालयों की लकीर की फकीर नौकरशही से बचाने के लिये स्वायत्तशासी बनाया जाये। नतीजतन आईआईएम संस्थान शुरू से अपने स्नातकों को डिग्री न देकर अपना डिप्लोमा (पीजीडीएम) देते रहे। संसद द्वारा 2017 में

पारित आईआईएम बिल में भी स्वायत्तता को ही प्रमुख रूप से आधार बनाया गया है। आईआईएम के अलावा आईआईटी और अनेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों यथा जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एएमयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध, अनुसंधान व शिक्षण की ख्याति का एक बड़ा कारण स्वायत्तता रही है।

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 62 संस्थानों को स्वायत्तता देने का आधार शैक्षिणक गुणवत्ता को बनाया गया है। देश में इस का मापन और मूल्यांकन यूजीसी सिस्टम में नैक, बंगलुरू और एआईसीटीई सिस्टम में एनबीए, नई दिल्ली करता है। देश में इस समय 864 विश्वविद्यालय और 40,026 कॉलेज हैं जिनमें 3.57 करोड़ विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यूं तो शैक्षणिक गुणवत्ता मापन के लिये नैक और एनबीए की स्थापना 1994 में हो गई किन्तु पहले 10 वर्षों यानि की 2004 तक इन की प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी रही। पिछले 5 वर्षों में इन के कामकाज में गति आई है। अक्टूबर, 2017 तक नैक 316 विश्वविद्यालयों और 7317 कालेजों का एक्रेडिटेशन कर चुका है जो कि कुल विश्वविद्यालयों का 36 प्रतिशत और कुल कालेजों का 17.8 प्रतिशत है। इस से जाहिर है नैक की गतिशीलता के बावजूद भी अभी भी अधिकांश विश्वविद्यालयों और कालेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता का मापन नहीं हो पाया है।

उच्च शिक्षा में स्वायत्तता को सही मायने में समझने और अमल में लाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इस का मतलब निरंकुशता या गैर जवाबदेही नहीं समझा जाना चाहिये। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिस का निहितार्थ है कि विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रबंध और दैनिंदन संचालन में किसी भी किस्म की बाहरी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिये। इसी के साथ–साथ कुलपतियों और प्राचार्यों की भी जिम्मेदारी है कि वे कि वे पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता और विधि सम्मत ढंग से काम करें। उन्हें अपने सभी सम्बद्ध पक्षों को विश्वास में रख कर यह बताना होगा कि उनके द्वारा सभी निर्णय जनतांत्रिक ढंग और संस्था के संविधान के अनुरूप लिये गये हैं।

62 संस्थानों को स्वायत्तता देने के बाद अच्छी क्वालिटी वाले हजारों अन्य संस्थान भी इस की मांग करेंगे। इस के लिये जरूरी होगा कि नैक एवं एनबीए के अलावा कुछ अन्य एजेंसियों को भी इस काम में लगाया जाना चाहिये। नैक और एनबीए के कामकाज में काफी पारदर्शिता और कार्य कुशलता बढ़ी है किन्तु फिर भी 500 से ज्यादा विश्वविद्यालयों 33000 हजार से अधिक कालेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता के मापन के लिये 10 और एजेंसियों की जरूरत होगी।

मानव संसाधन मंत्रालय को सभी गुणवत्ता वाली संस्थाओं को स्वायत्तता देने में 10 वर्षों से ज्यादा का समय लग सकता है। परन्तु स्वायत्तता के मुद्दे पर कुछ शिक्षाविदों, शिक्षक

संगठनों एवं विद्यार्थी संगठनों में यह संशय है कि इसकी आड़ में कहीं केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा पोषित सार्वजनिक विश्वविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों का शनैः शनैः निजीकरण न कर दिया जाये।

भारतीय लोकतंत्र की यह विशिष्टता रही है कि समाज के हर वर्ग के लिये उच्च शिक्षा के अवसर समान रूप से उपलब्ध रहे हैं। आईआईएम, आईआईटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी और एनआईटी में पढ़ कर न जाने कितने प्रतिभाशाली युवा देश और दुनिया में भारत की उच्च शिक्षा का सिक्का जमा चुके हैं।

निजी विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को भी स्वायत्तता लेने के बाद अपनी सामजिक जवाबदेही के प्रति सजग रहना चाहिये। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके द्वार किसी भी गरीब या निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाले प्रतिभाशाली युवाओं के लिये इस लिये न बंद कर दिये जाये कि उनके मां–बाप इन संस्थानों की भारी फीस नहीं जुटा सकते। इस के लिये निजी क्षेत्र के संस्थानों को बड़ी मात्रा में छात्रवृत्तियां एवं शुल्क मुक्तियां देनी चाहिये।

भारत में उच्च शिक्षा के चहुंमुखी विस्तार से समाज में जनतांत्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है और हजारों वर्षों से उपेक्षित रहे वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के मौके मिले है। उच्च शिक्षा ने भारत की अर्थव्यवस्था, शासन, सुरक्षा और नवाचार को भी शक्ति प्रदान की है। बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली का एक अवगुण यह रहा है कि तमाम राजनैतिक दल सत्ता पाने की होड़ में कालेजों और यूनिवर्सिटियों में अपने पांव जमाने के लिये उनके दैनिक कामकाजों और नियुक्तियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे हैं। अगर हमें भारत की उच्च शिक्षा को पटरी पर दुबारा लाना है तो हमारे पास एक ही विकल्प है स्वायत्तता और जवाबदेही।